भारत सरकार

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

(खेल विभाग)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1055

उत्तर देने की तारीख 29 जुलाई, 2024

7 श्रावण, 1946 (शक)

'एक राज्य, एक खेल' के अंतर्गत सिक्किम में तीरंदाजी के लिए अवसंरचना का विकास

1055. डॉ. इन्द्रा हांग सुब्बाः

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सिक्किम में 'एक राज्य, एक खेल' के अंतर्गत तीरंदाजी के लिए अवसंरचना विकसित करने हेतु कोई पहल की है;

(ख) 'एक राज्य, एक खेल' को बढ़ावा देने के लिए राज्य-वार कितनी निधि आवंटित की गई है; और

(ग) सरकार द्वारा विद्यालय स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने के लिए क्या पहल की गई है?

उत्तर

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री

(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) और (ख): 'खेल' राज्य का विषय होने के कारण, खेल अवसंरचनाओं के विकास सहित खेलों के विकास की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों की है। केंद्र सरकार उनके प्रयासों में सहायता करती है। इस मंत्रालय की एक राज्य एक खेल (ओएसओजी) पहल के तहत, सभी राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों ने प्राथमिकता वाली तीन खेल विधाओं की पहचान की है। सिक्किम ने तीरंदाजी, एथलेटिक्स और मुक्केबाजी को क्रमशः अपनी प्रथम, द्वितीय और तृतीय प्राथमिकता वाली खेल विधाओं के रूप में पहचान दी है। इसके अतिरिक्त, इस मंत्रालय में धनराशि का आबंटन स्कीमों के आधार पर किया जाता है राज्यों के आधार पर नहीं।

(ग) जनजातीय कार्य मंत्रालय आदिवासी बच्चों को उनके ही परिवेश में कक्षा VI से XII तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए वर्ष 2018-19 से एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) की केंद्रीय स्कीम कार्यान्वित कर रहा है। इस स्कीम के तहत, 50% से अधिक एसटी आबादी और कम से कम 20,000 आदिवासी व्यक्तियों (2011 की जनगणना के अनुसार) वाले ब्लॉकों में एक ईएमआरएस स्थापित किया जाता है। तदनुसार, मंत्रालय ने देश भर में 740 ईएमआरएस स्थापित करने का लक्ष्य

रखा है। इसके अतिरिक्त, आदिवासी छात्रों को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने और उन्हें अपनी क्षमताओं का संवर्धन करने हेतु एक मंच प्रदान करने के लिए, मंत्रालय ने ईएमआरएस में 15 खेल उत्कृष्टता केंद्र (खेलों के लिए सीओई) स्थापित करने का निर्णय लिया है।

शिक्षा मंत्रालय की समग्र शिक्षा स्कीम के तहत स्कूलों में खेल, शारीरिक कार्यकलापों, योग, सह-पाठयक्रम कार्यकलापों आदि को प्रोत्साहित करने के लिए खेल और शारीरिक शिक्षा घटक शुरू किया गया है। सरकारी विद्यालयों के लिए खेल सामग्री हेतु प्राथमिक विद्यालयों को 5000 रु., उच्च प्राथमिक विद्यालयों को 10,000 रुपये, माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों को 25,000 रु. की दर से प्रति वर्ष अनुदान देने का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2023-24 के दौरान, सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के सरकारी विद्यालयों के लिए खेल अनुदान के तहत 812.42 करोड़ रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है।

इसके अतिरिक्त, गुणवत्ता सुधार में सहायता करने देने के लिए स्कीम के भाग के रूप में सभी सरकारी विद्यालयों को वार्षिक आधार पर समग्र विद्यालय अनुदान प्रदान किया जाता है। खेल के मैदानों के रखरखाव और उपभोज्य तथा गैर-उपभोज्य दोनों प्रकार की खेल सामग्री की खरीद के लिए इन निधियों का उपयोग किया जाता है।
